संख्या-38/2015/1768 ई-2/तेरह-2015-57/2015

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद चन्दौली।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 26 अगस्त,2015

विषय:- होटल ग्रेपवाइन जनपद चन्दौली में एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-324/जि0आ0अ0/बार समिति/बैठक/15-16, दिनांक 17 जून,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17 जून,2015 के साथ प्राप्त आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 18-5-2015 में जिला बार समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-64/दस-लाइसेंस-74/एफ0एल0-6,7/बार अनुज्ञापन/चन्दौली/2015-16, दिनांक 03 अगस्त,2015 में की गई संस्तुति तथा अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री शिवम् चौरसिया पुत्र श्री प्रदीप कुमार चौरसिया, नि0 म0नं0-के-46/226/हरतीरथ, थाना कोतवाली, सदर जनपद वाराणसी के नाम होटल ग्रेपवाइन, मौजा कटेसर, परगना राल्हूपुर, तहसील व जिला चन्दौली में वर्ष 2015-16 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत, सृजित/व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में शासन की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-38/2015/1768(1) ई-2/तेरह-2015, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-64/दस-लाइसेंस-74/एफ0एल0-6,7/बार अनुज्ञापन/चन्दौली/2015-16, दिनांक 03 अगस्त,2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in